

रूचि की अभिव्यक्ति

नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी 3.1 एकड़ माप की भूमि पर गांव गोबिन्दपुरा निकट एन.एच.-73 पर अपनी ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता है। एतद् द्वारा इस प्रकार के प्रोजैक्टों के निर्माण में अपेक्षित अनुभव रखने वाले एवं अच्छी योग्यता वाले प्रतिष्ठित कंसल्टैन्ट आर्कीटेक्टो से रूचि की अभिव्यक्ति आमन्त्रित की जाती है। कंसल्टैन्ट कम्पनियों साईट प्लान, बिल्डिंग प्लान, आर्कीटेक्चरल प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन, आकलन निविदा दस्तावेज इत्यादि तैयार रहेंगी। कंसल्टैन्ट कम्पनियां जिन्होंने एक वित्तिय वर्ष में 5 करोड रू0 का प्रोजैक्ट पहले निष्पादित किया है, जो योग्य टैक्नीकल स्टाफ रखते है, अपनी ई.ओ.आई. दिनांक 22.12.2015 को या पूर्व उनके द्वारा पूर्ण किये विभिन्न प्रोजैक्टों सम्बन्धी अपने सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के कार्यालय में जमा करवायें।

निगम अभियन्ता,
हिते: आयुक्त,
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।

शर्तें

1. कौंसल ऑफ आर्किटेक्टों से पंजीकरण असल सर्टीफिकेट व यदि कोई आर्किटेक्ट फर्म है तो उसकी रजिस्ट्रेशन नं0 की असल कॉपी।
2. आर्किटेक्ट अपनी फीस बारे मोहर बन्द लिफाफे में पूर्ण विवरण लिखकर नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के कार्यालय में जमा करवायें।
3. आर्किटेक्ट का चयन करने उपरान्त चयनित आर्किटेक्ट को नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के कार्यालय के भवन मानचित्र को 15 दिन के अन्दर-अन्दर आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को प्रस्तुत करना होगा व नक्शे में जो भी सुधार व गलतियां निकाली जायेगी उनको ठीक करने उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।
4. चयनित आर्किटेक्ट को कार्यालय भवन के निर्माण खत्म होने तक जब भी बुलाया जायेगा, आना होगा।
5. स्थापित आर्किटेक्ट ने समान प्रकृति के अधिमानित ढांचो के 5 करोड प्रति के न्युनतम 2 प्रोजैक्ट अवश्य निष्पादित किये हो तथा नवीनतम आयकर निकासी प्रमाण पत्र भी जमा करवाये जाये।
6. विस्तृत नियम व शर्तों इत्यादि के साथ साईट प्लान की कॉपी किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय मे प्राप्त की जा सकती है।
7. आर्किटेक्ट का चयन नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के अधिकारियों के समक्ष प्रैजैन्टेशन देने के आधार पर एवं गत अनुभव के आधार पर किया जायेगा।
8. आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को बिना किसी कारण के ठेका रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।